न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 39/2024

अपीलांट बनाम रेस्पोडेन्ट

1. कालुराम पुत्र काछबाराम
2. हरीकिशन पुत्र भारता

(जाति विश्नोई, निवासी ग्राम पादरडी खुर्द, तह0 गुडामालानी जिला बाडमेर)

बनाम

1. देवीचन्द पुत्र रतनाराम
2. रामेश्वरी पत्नी हरीराम
   (जाति विश्नोई, निवासी ग्राम पादरडी खुर्द, तह0 गुडामालानी जिला बाडमेर)
3. ग्राम पंचायत अरटवाव जरिये सरपंच, तह0 गुडामालानी, बाडमेर
4. एईएन सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सांचौर
5. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी, जिला बाडमेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी प्रकरण संख्या 184/2023 दिनांक 09.02.2024

उपस्थित–

1. श्री रोशनलाल, वकील अपीलाण्ट
2. श्री बाबूलाल गोरा, वकील रेस्पो0 संख्या 1
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5
4. शेष रेस्पो0 बावजूद सूचना के अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 27.05.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0 सं0 1–देवीचन्द ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 प्रस्तुत कर तहसील गुडामालानी के ग्राम पादरडी खुर्द स्थित अपने खातेदारी खसरा नं0 536/1 रकबा 0.2266 हैक्टर एवं ख0नं0 694/690 रकबा 1.5298 हैक्टर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु अपीलांट–विप्राथी–कालूराम वगैरा के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.2.24 द्वारा स्वीकार कर प्राथी–रेस्पो0 सं0 1 की उल्लेखित खसरान की भूमि के संबंध में सीमाज्ञान करवाकर चारो ओर पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुडामालानी को आदेशित किया गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट्स विवादित खसरा नं0 536/1 एवं 694/690 का पडौसी कब्जा काश्त खातेदार है व दोनों पक्षों में माठ को लेकर विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी सं0 1 व अन्य प्रत्यर्थीगण के नोटिस तामिल करवाये बिना ही तथा जवाब का अवसर बंद किये बिना ही प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर दिया गया। आरएलआर एक्ट की धारा 111 व 128 के प्रावधान अनुसार बिना तरमीम/सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी नही की जा सकती है। विधि अनुसार प्रकरण में राजस्व नक्शे के अनुसार तरमीम किया जाना आवश्यक है। पत्थरगढी की आड में प्रार्थीगण कब्जे में परिवर्तन करवाना चाहते है। अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0 सं0 1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1–देवीचंद द्वारा तहसील गुड़ामालानी स्थित ग्राम पदरडी खुर्द के खातेदारी खसरा नं0 536/1 व 694/690 की नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का प्रस्तुत किया गया। जिसमें अपीलांट्स बतौर रेस्पो0 संयोजित है व इनके नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से भेजे गये तथा जवाब हेतु कई अवसर दिये गये। अपीलांट्स एवं रेस्पो0सं0 1 की खातेदारी भूमि अलग–अलग है एवं नक्शे में तरमीम है तथा विवादित खसरान की भूमि बाबत सीमांकन रिपोर्ट भी की गई है। उक्त रिपोर्ट में अपीलांट्स का रेस्पो0सं0 1 व सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर कब्जा बताया हुआ है। अतः अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके आधार पर जमाबंदी संवत् 2078 के अनुसार रेस्पो0 सं0 1 विवादित खसरान का खातेदार है एवं ऑन लाईन भू–नक्शे में खातेदारी भूमियां तरमीमशुदा दर्शित है। भूनक्शें में अपीलांट–हरिकिशन

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

के ख0नं0 537/1 व रेस्पो0सं0 1 का खसरा नं0 536/1 सेडासेड स्थित है। व अपीलांट व रेस्पो0 के खसरा नं0 694/690 के मध्य सडक मार्ग दर्शित है। सीमाज्ञान पालना रिपोर्ट दिनांक 18.6.23 व 16.8.23 मे अपीलांट्स एवं रेस्पो0सं0 1 के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने का उल्लेख है। अपीलांट् का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी सं0 1 व अन्य प्रत्यर्थीगण के नोटिस तामिल करवाये बिना ही तथा जवाब का अवसर बंद किये बिना ही प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर दिया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 6.10.23 के अनुसार विप्रार्थीगण के नोटिस डाक द्वारा प्रेषित कर पोस्ट ऑफिस की रिपोर्ट पेश की गई तथा विप्रार्थी सं0 3–अपीलांट सं0 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। तत्पश्चात उक्त पत्रावली में 3 तारीख पेशी इल्तवा होकर दिनांक 29.1.24 व 5.2.24 को विप्रार्थी सं0 3 को जवाब हेतु अवसर देते हुए दिनांक 9.2.24 को मूल प्रार्थना पत्र में जवाब बंद कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अतः इस स्थिति में अपीलांट का यह कथन मानने योग्य नही है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तद्नुसार खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी द्वारा प्रकरण सं0 184/2023 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.02.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27 मई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

27.05.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर